

पत्रांक—बिंप्र०सु०मि०सो० / स्था०—०६ / २०१९ सो० १५०५
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सेवा में,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

विषय:-

मानदेय में वार्षिक वृद्धि दिये जाने के प्रयोजन हेतु सफलतापूर्वक पूर्ण की गई कार्य अवधि की गणना के संबंध में।

प्रसंग:-

सामाहरणालय, रोहतास का पत्रांक—५०३, दिनांक—१९.०८.२०२१ एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक—४८८, दिनांक—०७.०३.२०१९

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा जिलान्तर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायकों द्वारा कुल 16 दिनों के सामूहिक हड्डताल पर रहने की स्थिति में क्या कार्यपालक सहायकों के हड्डताल अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा एवं हड्डताल अवधि में रहने के फलस्वरूप माह जुलाई, 2021 का मानदेय वृद्धि देय होगा अथवा नहीं, के मार्गदर्शन के संबंध में प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक—४८८, दिनांक—०७.०३.२०१९ के कांडिका—०५ में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कार्यपालक सहायक, आई०टी० सहायक एवं वर्ष ०१ली जनवरी तथा ०१ली जुलाई को आधार मानकर की जायेगी। इसकी गणना प्रत्येक की तिथि अथवा नियोजन की तिथि (नये नियोजनों के मामले में) से सफल सेवा का ०१ वर्ष पूर्ण किये जाने की स्थिति में ०१ली जनवरी अथवा ०१ली जुलाई (जो लागू हो) से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के सफलतापूर्वक पूर्ण की गई कार्य अवधि की गणना के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक—११४४, दिनांक—०८.०७.२०२० निर्गत है। जिसमें सफलतापूर्वक पूर्ण की गई कार्य अवधि की गणना के संबंध में प्रावधान वर्णित है।

अतः अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक—११४४, दिनांक—०८.०७.२०२० के आलोक में सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी कार्य अवधि की गणना कर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

१०.९.२१

(सतीश रंजन सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :— बिंप्र०सु०मि०सो० / स्था०—०६ / २०१९ सो० १५०५, दिनांक १३।०९।२१

प्रतिलिपि :— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१०.९.२१

विशेष कार्य पदाधिकारी

पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/स्था०-11/2019 सो०।।।।।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सोधा मेरा

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः—

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णय के संबंध में।

प्रसंगः—

दिनांक-10.06.2020 के शासी परिषद की कार्यवाही के कार्यावली बिन्दु-06, मिशन कार्यालय का पत्रांक-488, दिनांक-07.03.2019 एवं मिशन कार्यालय का पत्रांक- 1421, दिनांक-07.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक शासी परिषद की 26वीं बैठक के कार्यावली बिंदु-06 में आई०टी० प्रबंधक वर्ग-1 के आई०टी० प्रबंधकों को उनके द्वारा नियोजन के उपरान्त 5 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर उनको अगले 01ली जनवरी/01ली जुलाई को आई०टी० प्रबंधक वर्ग-2 में उत्क्रमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उत्क्रमित वर्ग का मानदेय चुनने के विकल्प दिये जाने को शासी परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक-488, दिनांक-07.03.2019 एवं पत्रांक-1421, दिनांक-07.08.2019 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण किया गया है।

आई०टी० प्रबंधक वर्ग-2 में उल्कमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उल्कमित वर्ग का मानदेय चुनने के विकल्प चुनने के क्रम में सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी कार्यावधि की गणना यथा “अनुमान्य आकस्मिक अवकाश, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश, रविवारीय एवं शनिवारीय (जहाँ लागू हो) अवकाश से अतिरिक्त अनुपस्थित अवधि जिसका मानदेय भुगतेय नहीं है, की गणना सफल तरीके से कार्य करने की अवधि में नहीं की जायेगी” के अनसार की जानी है।

उपर्युक्त वर्णित के आलोक में सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी कार्यावधि की गणना करने के क्रम में इसका दृढ़ता से पालन करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

8-7-2000

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

३०५

प्रियाप काय पदावकारा
बिंप्र०सु०मि०सो०/ स्था०-११/२०१९ सो०।।५५, दिनांक ०४/०८/२०२०

प्रतिलिपि :-

प्रशासनिक पदाधिकारी/वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

संबंधित आई०टी० प्रबंधकों को सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

1
8-7-2020

विशेष कार्य पदाधिकारी